

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (राजस्थान)

क्रमांक : ११८७-२२३०

दिनांक : २५/०६/२५

:- कार्यालय आदेश :-

मैं मौहम्मद आजम, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15(2) व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह जुलाई-2025 में पड़ने वाले विभिन्न राजपत्रित अवकाशों के लिए कोटा न्याय-क्षेत्र में स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के पुलिस थानों में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात् में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई हेतु निम्न सारणी अनुसार अधिकारीगण को अधिकृत करता हूं, जो अपने न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त कार्य सम्पादित करेंगे तथा न्यायालय समय के पश्चात अपने आवास पर उपस्थित रहकर उक्त कार्य करेंगे व बिना अनुमति मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।

क्र.सं.	न्यायिक अधिकारी का नाम व पदस्थापन सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	अवकाश तिथि	मोबाईल नंबर
1	अमित दवे ए.सी.जे.एम. नंबर - 7 कोटा	06.07.2025	9982150521
2	विनय जयपुरिया विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट) क्रम-3 कोटा	12.07.2025	8595746104
3	अभिमन्यु सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट (दक्षिण), कोटा	13.07.2025	9407346581
4	आकांशा मीणा विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट) क्रम-1 कोटा	20.07.2025	9714328238
5	निखिल टांक न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-5 (उत्तर), कोटा	26.07.2025	9644482989
6	अमन गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-5 (दक्षिण), कोटा	27.05.2025	8949324625

नोट:-

- सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से दोपहर 1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम. तक न्यायालय परिसर कोटा में अपने न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
- रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से कोटा पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के कोटा प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 06/पीआई/2008 दिनांक 29.07.08 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी भी उक्त अधिकारी करेंगे।
- तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्यूटी परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)